II

मध्यस्थ वर्ग एवं जमींदारों की समाप्ति (Abolition of Intermediary Tenures)

प्रथम एवं द्वितीय योजनाओं की अवधि में जमींदारी, जागीरदारी एवं इनामी जैसे मध्यस्थों को समाप्त किया जा चुका था। यह मध्यस्थ देश के प०। क्षेत्र में फैले हुए थे। इन मध्यस्थों को समाप्त करने की दिशा में सबसे पहला कानून सन् 1948 में चेन्नई में बना। तत्पश्चात् देश के अन्य राज्यों ने इस दिशा में अपने प्रयास आरम्भ किए।

मध्यस्थों की समाप्ति विषयक अधिनियमों के पारित हो जाने के परिणाम-स्वरूप देश के लगभग दो करोड़ किसानों का सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया। इससे इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। मध्यस्थ वर्ग के अधिकार समाप्त हो जाने से सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में कृषि बंजर भूमि एवं निजी वन भूमि प्राप्त हो सकी जिससे भूमिहीन कृषकों में कुछ भूमि वितरित करना संभव हो सका। इसी क्रम में राज्य सरकारों के पास बेकार पड़ी भूमि का वितरण भी भूमिहीन कृषकों में किया गया।

अनुमानतः 1.25 करोड़ से अधिक काश्तकारों को 63.2 लाख हेक्टेयर भूमि के स्वामित्व अधिकार सौंप दिये गए। इसके अतिरिक्त लगभग 8.8 लाख हेक्टेयर

Scanned with CamScanner

बंजर भूमि भी वितरित की गयी है।
देश के विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा जमींदारी प्रथा के समाप्ति के लिए जो कानून बनाए गये थे, उनका यदि विश्लेषण किया जाए तो निम्न विशेषताओं का पता चलता है:—

(i) जमींदारों का सम्पूर्ण उन्मूलन !— देश के सभी राज्यों से जमींदारी और जागीरदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और जमींदारों एवं जागीरदारों को मुआवजे की सम्पूर्ण राशि का वितरण कार्य भी पूरा किया जा चुका है।

(ii) मुआवजे का भुगतान :→ जमींदारों एवं जागीरदारों को भुगतान किया जानेवाला मुआवजा कुछ राज्यों द्वारा नकद भुगतान किया गया है और कुछ के लिए सरकार द्वारा बॉण्ड्स दिये गए हैं।

(iii) मुआवजा भुगतान का आधार !→ देश के अलग-अलग राज्यों ने मुआवजा भुगतान के लिए अपने यहाँ अलग-अलग आधार निर्धारित किये थे। देश के कुछ राज्यों ने जमींदारों एवं जागीरदारों के आर्थिक स्थिति को ध्यान मे रखकर मुआवजे का आधार निश्चित किया था। इन राज्यों मे आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न जमींदारों को कम और

आर्थिक दृष्टि से कमजोर जमींदारों को अधिक मुआवजा दिया गया था।

(iv) कृषि हेतु निजी जमीन रखने की छूट :- विभिन्न राज्यों द्वारा जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कानून बनाये गए थे, उनमें यह प्रावधान किया गया था, जो जमींदार जितनी भूमि पर, स्वयं कृषि कार्य करते थे, उतनी भूमि उन्हें अपने पास रखने की छूट दी गयी थी।

(v) सामाज्य भूमि पर राज्य सरकारों का अधिकार :→ जमींदारी और जागीरदारी प्रथा के समाप्ति के पश्चात गाँव में जो बंजर भूमि, वन भूमि, हाट भूमि और चारागाह भूमि राज्य सरकारों को प्राप्त हुई थी, उस पर राज्य सरकार ने स्वयं अधिकार कर लिया।

(vi) लगान भुगतान का उत्तरदायित्व :→ जमींदारी समाप्ति के लिए पारित किए गए कानूनों में यह व्यवस्था की गयी कि काश्तकार अपनी भूमि के लिए दिया जानेवाला लगान स्वयं सरकार को भुगतान करेगा।

(vii) भूमि को स्वयं जोतना अनिवार्य :→ जमींदारी प्रथा समाप्त करने वाले कानूनों में यह प्रावधान भी किया गया कि जिस

Scanned with CamScanner

किसान को जितनी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाई गई है अथवा उसके पास जितनी भूमि है, उस पर प्रति वर्ष उसे कृषि करना अनिवार्य होगा।

मध्यस्थ वर्ग उन्मूलन से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को निम्नांकित लाभ प्राप्त हुए :→

(i) शोषण की समाप्ति,
(ii) खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि,
(iii) कृषक एवं सरकार के बीच सीधा सम्बन्ध,
(iv) लगान से शासकीय आय में वृद्धि,
(v) भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करना सरल,
(vi) भूमिहीन कृषक भूमि स्वामी बने
(vii) पंचायतों की आय में वृद्धि।

उपर्युक्त उपलब्धियों से स्पष्ट है कि मध्यस्थ वर्ग की समाप्ति से भूमि सुधार कार्यक्रमों को जहाँ एक नई दिशा प्राप्त हुई है, वहीं देश के गरीब किसानों को भी उन्नति का अवसर प्राप्त हुआ है। वे अब देश की विकास धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।

Scanned with CamScanner